

C.NO. 356/2020 सुनिल पास शमेश्वर

26/7/2024 पत्रावली पेश हुई वकील पार्थी अनुपमिता/पार्थी अनुपमिता  
वकील पार्थी को आग 06:00 बजे तक शकिक कर तीन बार आवाज  
लागवाई गई किन्तु वे अनुपस्थित रहे हैं अतः पार्थी का पार्थीना पत्र  
अभि 09 विपम 03 CPC के तहत इसी स्तर पर अदालत की  
अदालत में खारिज किया जाता है पत्रावली पेश करने वाले का हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी  
खराई (खजमेर)

